फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल

विपक्षी : श्री हाबुडा उर्फ हरीप्रसाद

किस्म मुकदमा – 212 रा0का0अ0

पत्रावली संख्या : 119/21

जीसीएमएस : 2017/00051

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 19.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भी विपक्षीगण के नोटिस अखबार में प्रकाशित करा अखबार की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा समय पर न्यायालय आदेशानुसार तामीले प्रस्तुत नहीं करवाना यह अपने आप में प्रार्थी का इस प्रार्थना पत्र के प्रति अरूचि को दर्शाता हैं। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. में स्पष्ट उल्लेख है कि **"जहां वादी, सम्मन तामील के बिना लौटाने के पश्चात् 7 दिन तक नये सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता हैं, वहां वाद का खारिज किया जाना"** इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में भी प्रार्थी को दिनांक 26.07.2017 से नोटिस प्रस्तुत करने हेतु तथा दिनांक 27.05.2024 को अखबार में प्रकाशित करवा अखबार की प्रति पेश करने हेतु आदेश दिया गया जिसे काफी समय व्यतीत हो चुका हैं। उसके पश्चात् भी प्रार्थी अखबार में नोटिस प्रकाशित करवा अखबार की प्रति पेश करने में असमर्थ रहा हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी अपने प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत् इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:54:25 IST
Reason: SelfAttested